प्रेस नोट **दिनांक 29.08.2026**

थाना घोसी पुलिस द्वारा महिला से छिनैती करने वाला 01 नफर अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ मे घायल/गिरफ्तार, कब्जे से 01 अदद चैन पीलीधातु, 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाय जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह के नेतृत्व में दिनांक 24.08.2026 को सूरज कुमार पुत्र रामानन्द निवासी हरदौल थाना दोहरीघाट जनपद मऊ द्वारा थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत गोफा शिव मन्दिर के पास से महिला के साथ छिनैती करने के संबंध में मु0अ0सं0 362/2026 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्त को आज दिनांक 29.08.2026 को मुखबिर की सूचना पर गोफा पुलिया के पास से थाना घोसी पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी कर अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र रामानन्द को पकडने का प्रयास किया गया जिसपर सूरज कुमार उपरोक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया गया,पुलिस द्वारा आत्मरक्षा में जवाबी कार्यवाही किया गया जिसमें सूरज कुमार के दाहिने पैर में गोली लगी है जिसको ईलाज हेतु सीएचसी घोसी लाया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी-

1. 01 अदद चैन पीलीधातु
2. 01 अदद अवैध तमन्चा -315 बोर
3. 01 अदद जिन्दा कारतूस -315 बोर,
4. 01 अदद खोखा कारतूस – 315 बोर
5. घटना मे प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद

अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र रामानन्द उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 -13/2026 धारा 305,331(4) बीएनएस थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।
2. मु0अ0सं0 201/2023 धारा 380,411,413,414,457 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।

3. मु0अ0सं0- 202/2023 धारा 380,411,413,414,457 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
4. मु0अ0सं0 -214/2023 धारा 380,411,413,414,457 भा0द0वि0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
5. मु0अ0सं0 33/2024 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप नि0 अ0 थाना दोहरीघाट जनपद मऊ।
6. मु0अ0सं0 440/2023 धारा 380,411,457 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।
7. मु0अ0सं0 463/2023 धारा 307,411,413,414,420,467,468,471 भा0द0वि0 थाना घोसी जनपद मऊ।

गैर इरादतन हत्या के मामले में अभियुक्त गिरफ्तार कब्जे से आलाकत्ल बरामद-

अधीक्षक मऊ के निर्देशन अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना के कुशल नेतृत्व में थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर जमुई की तरफ जाने वाले रास्ते से मु0अ0सं0 295/2026 धारा 105 बीएनएस थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ से संबंधित अभियुक्त राजेश राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रदेव राजभर, निवासी ग्राम चक जाफरी, थाना मु0बाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र करीब 38 वर्ष को गिरफ्तारी का कारण व आधार बताते हुए दिनांक 29.08.2026 को समय पुलिस हिरासत में लिया गया।

घटना विवरण- दिनांक 28.08.2026 को ग्राम चक जाफरी में दो सगे भाइयों के मध्य विवाद हुआ था, जिसमें छोटे भाई दिनेश राजभर की मृत्यु हो गयी थी। घटना के सम्बन्ध में थाना मु0बाद गोहना पर मु0अ0सं0 295/2026 धारा 105 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। घटना में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार सुरागरसी-पतारसी की जा रही थी। कि दिनांक 29.08.2026 को क्षेत्र में भ्रमण/गश्त एवं वांछित अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा जमुई की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा गया। पुलिस टीम को देखकर उक्त व्यक्ति भागने लगा, जिसे पुलिस टीम द्वारा पीछा कर पकड़ लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा एक अदद **लकड़ी का डण्डा** (आलाकत्ल) बरामद किया गया।

पूछताछ में बताया अभियुक्त ने अपना नाम राजेश राजभर S/O स्व0 चन्द्रदेव राजभर निवासी ग्राम चक जाफरी थाना मु0बाद गोहना जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्ष बताया भागने के सम्बन्ध मे बताया कि साहब कल रात में मेरे छोटे भाई दिनेश राजभर से दारू के नशा मे झगडा हो गया था ताव ताव मे मैने लकडी का डण्डा व बेलन से मैने अपने छोटे भाई दिनेश राजभर को मारपीट दिया था जिसके कारण मेरे भाई की कुछ देर बाद मृत्यु हो गई अपने भाई को जान से नही मारना चाहता था लेकिन शराब के नशे मे गलती हो गई मै डर के मारे घर से भागकर पकडे जाने के डर से इधर उधर लुक छिप कर रह रहा था। मै बाहर भागने के फिराक मे था कि आपलोगो ने पकड लिया। आला कत्ल लकडी डण्डा के बारे मे पूछने पर बताया कि साहब भागते समय डण्डा मेरे हाथ मे ही था भागते भागते डण्डा को गुरादरी मठ के पीछे वाली टूटी हुई बाऊण्ड्री के पास घास मे फेक दिया था। अभियुक्त द्वारा बताये गये आला कत्ल की बरामद हुआ, लकडी के डण्डे के उपर रक्त का धब्बा लगा हुआ है उक्त बरामद डण्डा की लम्बाई 3(तीन) वालीस्त 3(तीन) अंगुल है। तथा मोटाई दो अंगुल है। अभियुक्त राजेश राजभर उपरोक्त को उसके द्वारा किये गये अपराध का बोध व कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 05.45 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा बरामद डण्डा आलाकत्ल को कब्ज मे लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :

1. **राजेश राजभर पुत्र स्व0 चन्द्रदेव राजभर, निवासी ग्राम चक जाफरी, थाना मु0बाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र करीब 38 वर्ष**

बरामदगी :

- आलाकत्ल लकड़ी का डंडा

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक- 29.08.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण

1.थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.रामसेवक पुत्र लोकनाथ निवासी ग्राम पिपरसाथ थाना हलधरपुर जनपद मऊ व 2.संतोष पाण्डेय पुत्र सूरज नारायण पाण्डेय निवासी ग्राम अतरौल पाण्डेय थाना हलधरपुर जनपद मऊ।

2.थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.हरिन्द्र पुत्र रामसमुझ निवासी ग्राम उफरौली थाना मधुबन जनपद मऊ, 2.सुरेश साह पुत्र हिरामण निवासी ग्राम कटघराशंकर थाना

मधुबन जनपद मऊ, व 3.अमरजीत पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर दुबारी थाना मधुबन जनपद मऊ।

3.थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.महातम पुत्र हरिनन्दन निवासी ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, 2.खिचड़ू सोनकर पुत्र मुन्नर सोनकर निवासी ग्राम धर्मसीपुर थाना रानीपुर जनपद मऊ, 3.रामजीत पासी पुत्र स्व0 खुरचुन पासी निवासी ग्राम चकभतड़ी थाना रानीपुर जनपद मऊ, व 4.शेषनाथ पुत्र खतिराम निवासी ग्राम चाल्हा थाना रानीपुर जनपद मऊ।

4.थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.हरिश्चन्द्र पुत्र टेघरू उर्फ सत्यदेव निवासी ग्राम कुतुबपुर थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ व 2.सलीम पुत्र समउद्दीन निवासी ग्राम जमीनखास थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ।

5.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त लालू राजभर पुत्र पुनवासी राजभर निवासी ग्राम ख्वाजाजहापुर थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

6.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त रामबचन पुत्र हीरा सोनकर निवासी ग्राम फुलेलपुरा थाना कोपागंज जनपद मऊ।

7.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण क्रमशः 1.जयचन्द्र चौहान पुत्र रामराज चौहान निवासी ग्राम मिश्रौली थाना घोसी जनपद मऊ, 2.प्रहलाद राजभर पुत्र सामदेव निवासी ग्राम पिउवाताल थाना घोसी जनपद मऊ, व 3.सतीश पुत्र परदेश निवासी ग्राम मुजार बुजुर्ग थाना घोसी जनपद मऊ।

अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री कमलेश बहादुर के निर्देशन में दिनांक 29.08.2026 को जनपद मऊ के समस्त थाना क्षेत्रान्तर्गत संदिग्ध व्यक्तियों/ वाहनो व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया

इस अभियान के अंतर्गत 32 टीम गठित कर जनपद के 32 स्थानों पर बदल बदलकर लगभग 1250 सदिग्ध वाहनो/व्यक्तियो को चेक किया गया जिसमें यातायात के नियमों का पालन न करने पर 257 वाहनों को विभिन्न धाराओ में चालान किया गया साथ ही साथ अन्य लोगों को हिदायत भी दी गयी तथा यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु वाहन चालकों को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया।

पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वे यातायात नियमों का पालन करें, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें एवं गलत स्थानो पर पार्किंग नही करे तथा सुरक्षित यातायात में सहयोग प्रदान करें।